रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 857] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 4, 2012/वैशाख 14, 1934
No. 857] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 4, 2012/VAISAKHA 14, 1934

IndiaCode

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2012

का.आ. 1018(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री एम. चोकालिंगम, मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17(4)/2011-पीएल/एनजीटी]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2012

S.O. 1018(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 read with Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Justice M. Chockalingam, former Judge of High Court of Madras, as the Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for a period of five years or till he attains the age of sixty-seven years, whichever, is earlier.

[F. No. 17(4)/2011-PL/NGT]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2012

का.आ. 1019(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री अमित तालूकदार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को तारीख 18 अप्रैल, 2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17(4)/2011-पीएल/एनजीटी]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2012

S.O. 1019(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and read with Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Justice Amit Talukdar, former Judge of Calcutta High Court, as the Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from the 18th April, 2012 (forenoon) for a period of five years or till he attains the age of sixty-seven years, whichever, is earlier.

[F. No. 17(4)/2011-PL/NGT]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.

1631 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.